प्रेस वज्ञप्ति

सराहनीय कार्य, जनपद भदोही

दिनांक-24.07.2026

◆"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चन्हित व महिला सम्बन्धित अपराधों में दोषी अ भयुक्तों के वरुद्ध अ धकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा वशेष अ भयान

◆आरोपी द्वारा नाबा लग पी ड़ता की गरिमा भंग करने के दोषी अ भयुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा _05वर्ष कारावास व ₹60,000/- अर्थदंड_ से कया गया दं डत

◆वैज्ञानिक ववेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पु लस व लोक अ भयोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मली सजा

दिनांक-13.04.2024 को थाना सुरियावां क्षेत्र अंतर्गत आरोपी संदीप गुप्ता पुत्र स्व0 भोनूराम निवासी सुल्तानपुर थाना बदलापुर जनपद जौनपुर हाल पता ग्राम कस्तूरीपुर थाना सुरियावां जनपद भदोही के वरुद्ध नाबा लग पी ड़ता की गरिमा भंग करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अ भयोग मु0अ0सं0-36/2024 धारा-354-क, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व लैं गक अपराधों से बालकों का संरक्षण अ धनियम, 2012 की धारा-9 (f) (m)/10, एवं धारा-3(2) (va), 3(2) (vii) अनुसू चत जाति/अनुसू चत जनजाति (अत्याचार निवारण) अ धनियम, 1989 थाना- सुरियावां, जनपद- भदोही में स्थानीय पु लस द्वारा वैज्ञानिक ववेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए के आरोपी के वरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रे षत कया गया।

श्री अ भनव त्यागी, पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चन्हित व महिला सम्बन्धित अपराधों में दोषी अ भयुक्तों के वरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अ धकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पु लस द्वारा वशेष अ भयान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अ भयोग में स्थानीय पु लस, मॉनिटरिंग सेल व एडीजीसी-श्री कौलेश्वर पाण्डेय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप श्री दुर्गेश मा0 न्यायालय वशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), ज्ञानपुर भदोही द्वारा समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के ष्टिगत *दोष सद्ध संदीप गुप्ता पुत्र स्व0 भोनूराम निवासी सुल्तानपुर थाना बदलापुर जनपद जौनपुर हाल पता ग्राम कस्तूरीपुर थाना सुरियावां जनपद भदोही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354 क एवं लैं गक अपराधों से बालकों का संरक्षण अ धनियम, 2012 की धारा- 9f/9m/10 के अन्तर्गत पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹60,000/- रूपये (साठ हजार रूपये) के अर्थदण्ड* से दण्डित कया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 06 माह (छः माह) का अतिरिक्त कारावास भुगतना

होगा। दोष सद्ध पर अ धरो पत *अर्थदण्ड की कुल धनरा श में से 90% वादिनी मुकदमा को* प्रदान कया जाएगा।